[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2026- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.....(अ) - केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. *स्पष्टीकरण:-* इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल (पथकर) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार